न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारीः— मूल चन्द आरएएस

अपील सख्या 2018/00220 (107/2018) 223 आरटीएक्ट

बंशीलाल पुत्र मोहर सिह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

——अपीलांट

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र बीरूराम जाति जाट निवासी नेठाराना तहसील भादरा
2. संतलाल पुत्र मोहरसिह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा
3. नारायण देवी पुत्री मोहरसिह पत्नी राजेन्द्र सिह जाति जाट निवासी खाबड़ा तहसील भट्टू जिला फेहाबाद
4. मनीता उर्फ लाडो पुत्री मोहर सिह पत्नी राजसिंह जाति जाट निवासी ढाणी तहसील भट्टू जिला फतेहाबाद
5. धर्मावती पुत्री मोहरसिह जवाहरलाल जाति जाट निासी ढाणी तहसील भट्टू जिला फतेहाबाद
6. लीलावती पुत्री मोहरसिह पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा
7. गुरूमुखी पुत्री मोहरसिह पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा
8. दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा गोगामेडी जरिये शाखा प्रबंनधक शाखा गोगामेडी तहसील नोहा
9. ओ.बी.सी. बैंक शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा नेठराना तसहील भादरा।

----रेस्पोडेन्ट्स

विरूद्ध निर्णय व डिक्री 14.02.2018 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा बअनवानी बंशीलाल बनाम मोहरसिंह आदि

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अभिभाषक अपीलांट

श्री सत्यप्रकाश कायल अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 25.07.2019

1. संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट में प्रस्तुत किया जिसमें प्रश्नगत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि जद्दी जायदाद होना कहते हुए मोहरसिह के नाम दर्ज रोही मौजा चक 5 एनटीआर की भूमि को वादी बंशीलाल व प्रतिवादी स0 2 संतलाल को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित करने एवं मोहर सिंह का नाम कलमजन करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। वाद एवं राजीनामा के आधार पर विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा वाद साबित नहीं करने के कारण खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि विचारण न्यायालय ने कानूनी बिन्दू का कोई विश्लेषण नहीं किया है। वाद भूमि अपीलाण्ट के दादा बीरूराम की मृत्यु के वाद व बीरूराम के भाई की पुरानी खातेदारी कृषि भूमिं है जो संयुक्त परिवार की पैतृक संपति है। अधीनस्थ न्यायायल में राजीनामा प्रस्तुत किया गया और दस्तावेजात पेश किये थे जिनका अवलोकन नही किया गया। विचारण न्यायालय ने विधि की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। मातहत अदालत का निर्णय खिलाफ कानून वाकयात व रूएदाद मिसल है तथा विधि की भयंकर अवहेलना में पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता रे अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2000 पेज 245 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलाकन किया।

6. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायायल में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था जिसमें पैतृक संपति होने का कथन करते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में हिस्से की घोषणा करने का अनुतोष चाहा है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 7 ने अधीनस्थ न्यायालय में संहमति दी है। विचारण न्यायालय ने वाद वादी साबित नहीं मानते हुए वाद को खारिज किया है। अपील में अपीलाण्ट का यह कथन आया है कि अधीनस्थ न्यायायल में राजीनामा प्रस्तुत किया गया और दस्तावेजात पेश किये थे जिनका अवलोकन नही किया गया। लेकिन अपीलाण्ट ने अपील में प्रश्नगत भूमि का खसरा मिलान क्षेत्र प्रस्तुत नही किया है अर्थात प्रश्नगत साबिक भूमि से हाल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किला नं. किस प्रकार बने इसका कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है, साथ ही प्रश्नगत भूमि दाताराम से हेतराम से चावली को कैसे आई और चावली से मोहरसिंह को कैस आई इस संबंध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वादपत्र में रेस्पोडेण्ट का नाम मोहरसिंह पुत्र बीरू दर्ज है। जबकि खाता सं0 148/132 की भूमि मोहरसिंह पि0 चावली दर्ज है जिसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायायल के निर्णय में ऐसी कोई त्रूटि सामने नहीं आई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त इस प्रकरण में चस्पा नही होते हैं।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.02.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2019 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25/7/19

(मूलचन्द)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official